



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



क्रमांक: ३१२/प्रशासन/५२-२०१७

भोपाल, दिनांक: २६/०६/२०१८

-सूचना-

विश्वविद्यालय के समर्त शिक्षण विभागों/संस्थानों के अध्यक्षों एवं संचालकों को शृंगीत किया जाता है कि, शैक्षणिक विभाग/संस्थान द्वारा जारी की गई समय-सारिणी के पश्चात् छात्राओं को अनावश्यक रूप से विभाग/संस्थान में नहीं रोका जावे।

आदेशानुसार,

Bijay

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: ३१३/प्रशासन/५२-२०१७

भोपाल, दिनांक: २६/०६/२०१८

प्रतिलिपि :-

- 1) विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के समर्त शैक्षणिक विभाग की ओर इस आशय के साथ कि वे अपने अधीनस्थ विभाग में उक्त सूचना के कड़ाई रो पालन हेतु उचित व्यवस्था निर्धारित करने का कष्ट करें।
- 2) संचालक, विश्वविद्यालय के समर्त शैक्षणिक संस्थान की ओर इस आशय के साथ कि वे अपने अधीनस्थ संस्थान में उक्त सूचना के कड़ाई रो पालन हेतु उचित व्यवस्था निर्धारित करने का कष्ट करें।
- 3) उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी, विश्वविद्यालय के समर्त कक्ष।
- 4) वित्तीय नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 5) कुलसचिव के विज सहायक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 6) कुलपतिजी के दायिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 7) प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, की ओर विश्वविद्यालय वेब पर उक्त सूचना को अपलोड करने के आशय के साथ।
- 8) बरती प्रति।

Bijay

उप-कुलसचिव (प्रशासन)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल